

राजस्थान सरकार  
पर्यटन विभाग, जयपुर  
होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर  
फोन न. 0141-5155100

क्रमांक: एफ.10( )अनुपयोगी/सा.भ./पवि/2009/ 22368-70

दिनांक:08.01.2015

नीलामी सूचना

विभाग के अनुपयोगी/नकारा/अप्रचलित सामान की (जहाँ जिस स्थिति में है) नीलामी दिनांक 30.01.2015 को अपरान्ह 01.00 बजे की जानी है। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित समय पर उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते हैं। बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को अमानत राशि के रूप में रू. 6385/- (अक्षरे राशि रू0 छः हजार तीन सौ पिचासी रूपये) कार्यालय में जमा कराने होंगे। असफल बोलीदाता को यह राशि नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद लौटा दी जायेगी। सफल बोलीदाता को बोली की राशि मय वेट उसी दिन कार्यालय समय में जमा करानी होगी एवं सामान को कार्यालय से उसी दिन उठाना होगा।

नीलामी योग्य सामान को कार्यालय दिवस में गोर्वमेन्ट हॉस्टल के पीछे की तरफ स्थित स्टोर रूम में 2.30 pm से 5.00 pm बजे तक देखा जा सकता है।

—ह0—

(संजय पाण्डे)

अतिरिक्त निदेशक (विकास)

नीलाम किये जाने वाले अनुपयोगी/नकारा/अप्रचलित सामान की शर्ते निम्न प्रकार से होगी :-

1. सामान जिस स्थिति में है जैसा है, स्वीकार करना होगा।
2. प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली लगाने से पूर्व राशि रू. 6385/- (अक्षरे राशि रू0 छः हजार तीन सौ पिचासी रूपये) कार्यालय में जमा कराने होंगे।
3. सफल बोली लगाने वाले को निलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा सामान उसी दिन कार्यालय प्रांगण से उठाना होगा।
4. बेट नियमानुसार पृथक से देना होगा।
5. सामान की नीलामी रद्द/संशोधन करने का अधिकार कमेटी को होगा।
6. नीलामी योग्य सामान को कार्यालय दिवस में गोर्वमेन्ट हॉस्टल के पीछे की तरफ स्थित स्टोर रूम में दिनांक 29.01.2015 तक 2.30 pm से 5.00 pm बजे तक देखा जा सकता है।
7. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

—ह0—

(संजय पाण्डे)

अतिरिक्त निदेशक (विकास)